



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 आश्विन, 1944 (श०)

संख्या - 468 राँची, शुक्रवार, 23 सितम्बर, 2022 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

22 सितम्बर, 2022

संख्या-एल०जी०-29/2018-34—लेज० झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-**19/09/2022** को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2022
(झारखण्ड अधिनियम संख्या-11, 2022)

झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), 2000 में संशोधन हेतु अधिनियम, 2022

प्रस्तावना

जबकि झारखण्ड के विश्वविद्यालयों को ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित विनियम को लागू करने के लिए झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), 2000 में संशोधन की आवश्यकता है।

जबकि राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की समय पर पदोन्नति और नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर लागू किए गए यूजीसी विनियमों को स्वतः लागू करने के लिए प्रावधान किए जाने हेतु तदनुसार झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), 2000 में संशोधन की आवश्यकता है:

अतएव झारखण्ड राज्य विधानमण्डल के द्वारा भारतीय गणराज्य के 73वें वर्ष में निम्नलिखित रूप से इन संशोधनों को अधिनियमित किया जाता है।

अध्याय-01

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ:-

- (i) यह अधिनियम झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन), अधिनियम, 2022 कहा जाएगा।
- (ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।
- (iii) यह झारखण्ड राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगा।

अध्याय-02

01. शिक्षकों तथा पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए निर्मित प्रावधानों के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (अंगीकृत एवं यथा संशोधित), 2000 की धारा-2 में अंतर्वेश एवं धारा-57 की उपधारा-2(a), उपधारा-2(b) तथा उपधारा-5 के रूप में प्रतिस्थापन।

धारा-2 में निम्न रूप से अंतर्वेशित हो (Definitions)

- (ao) "direct recruitment" means the process of appointing faculty by inviting applications against public advertisement from persons eligible to teach in a State University/College.
- (ap) "sanctioned strength" means the number of posts in teacher's cadre approved by the appropriate authority;

- (aq) "teachers' cadre" means a class of all the teachers of a State University / College regardless of the branch of study or faculty, who are remunerated at the same grade of pay; excluding any allowance or bonus.

धारा-57 की उपधारा-2(a) निम्न रूप से प्रतिस्थापित हो-

The Jharkhand Public Service Commission shall hold every year a qualifying test for appointment of teachers in the University/Constituent Colleges/ Affiliated Colleges which shall be known as the Jharkhand Eligibility Test. For this purpose it shall invite application as per the requisition sent by University from only such candidates who fulfil the prescribed qualifications as laid down in the Statute framed in this regard.

However, such test shall be conducted having regard to any regulation framed or direction issued by the University Grants Commission in this regard;

धारा-57 की उपधारा-2(b) निम्न रूप से प्रतिस्थापित हो-

For appointment of teachers in the University and Constituent Colleges the Commission shall invite applications from candidates who have passed the Jharkhand Eligibility Test (JET) conducted by JPSC and/or have cleared the National Eligibility Test (NET)/Junior Research Fellow (JRF) conducted by the UGC/CSIR and/or have been awarded Ph.D. degree in the relevant subject in accordance with the Statute in this regard as per University Grants Commission Regulations and on the basis of interview shall prepare merit list against the vacancies sent by the University and such list shall remain valid for a period of one year from the date of its approval. The merit list shall consist of twice the number of vacancies, but the Commission shall send in order of merit only one name at a time to the University for Appointment against a single vacancy.

Provided that the Commission shall recommend names to the University from the merit list in conformity with the reservation roster prepared and sent by the University in accordance with the law relating to reservation in appointment in force in the State for Universities of Jharkhand considering University as one unit.

धारा-57 की उपधारा-5 निम्न रूप से प्रतिस्थापित हो-

Notwithstanding anything to the contrary contained in the Act, Statutes, Rules or Regulations, the policy of reservation in the State of Jharkhand for the Universities of Jharkhand shall apply to all appointments for teacher of University considering University as one unit.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्श
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।
